



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

पत्रांक: एफ(20)आकाशि/नि.सं./पॉलिसी/2020/347

दिनांक 09/06/2021


समस्त प्राचार्य/ नोडल अधिकरी
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- सत्र 2021-22 हेतु निजी महाविद्यालयों के विभिन्न प्रकरणों हेतु प्राप्त आवेदनों के
क्रम में निरीक्षण किये जाने बाबत।

महोदय/ महोदया,


उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि कोविड-19 की विषम परिस्थितियों
के कारण निर्धारित समयावधि में निरीक्षण प्रक्रिया निष्पादित नहीं होने के कारण लंबित
प्रकरणों में आवश्यक निरीक्षण दिनांक 10.07.2021 तक सम्पादित कर, निरीक्षण रिपोर्ट
व पत्रावली मय प्रमाणित दस्तावेज विभाग में दिनांक 15.07.2021 तक व्यक्तिशः
भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


✓ संयुक्त निदेशक (नि.सं.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. समस्त निजी सचिव/ अध्यक्ष, निजी महाविद्यालयों को भेज कर लेख है कि
उपर्युक्तानुसार निरीक्षण बाबत नोडल अधिकरी से सम्पर्क कर निर्धारित समयावधि में
निरीक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. वेब प्रभारी को अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।


✓ संयुक्त निदेशक(नि.सं.)